न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

आर0एम0पी0 वाद सं0–23/2024–25

अवर निबंधक, पाकुड़ वगैरह

बनाम

अजहर इस्लाम

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

–: आदेश :–

यह वाद जिला अवर निबंधक, पाकुड़ के कार्यालय पत्रांक–118/नि0, दिनांक–22.03.2025 के माध्यम से विपक्षी के द्वारा निबंधन के क्रम में प्रस्तुत किये निबंधित दस्तावेज सं0–413, दिनांक–29.02.2016 में पायी गयी कमी मुद्रांक शुल्क 7,18,245.31 रूपये एवं निबंधन शुल्क 5,38,683.98 रूपये की वसूली हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रारम्भ किया गया। प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में वर्णित वाद संस्थित करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष रखे जाने हेतु सूचना निर्गत की गयी। विपक्षी के द्वारा दिनांक–24.04.2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर कमी मुद्रांक शुल्क के एवज में जमा की गयी राशि 7,18,246.00 रूपये एवं निबंधन शुल्क के एवज में जमा की गयी कमी निबंधन शुल्क की राशि 5,38,684.00रूपये की ऑनलाईन पेमेंट रिसिप्ट की प्रति दाखिल करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। विपक्षी के विरूद्ध बकाया मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क की राशि उनके द्वारा जमा की गयी हैं। चूंकि वर्णित वाद में बकाया मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क की राशि विपक्षी के द्वारा जमा कर दी गयी है। इस हेतु विपक्षी के विरूद्ध प्रारम्भ की गयी वर्णित वाद की कार्रवाई को जारी रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

उक्त परिपेक्ष्य में वर्णित वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

ह0/- उपायुक्त, पाकुड़।

ह0/- उपायुक्त, पाकुड़।

Digitally signed by MANISH KUMAR
Date: 2025.05.16 13:00:32 +05:30
Location: 192.168.0.111